

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग- 5

लखनऊ दिनांक 13 फरवरी, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-2017 में जनपद कानपुर नगर की नगर पालिका परिषद, घाटमपुर के लिये पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु चतुर्थ किश्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), 30प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-254/नागर-2/033-410/16, दिनांक 27.12.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कानपुर नगर की नगर पालिका परिषद, घाटमपुर के लिये पुनर्गठन पेयजल योजना लागत ₹0 2506.54 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-2731/नौ-5-14-32बजट/2014, दिनांक 20.11.2014 द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹0 1000.00 लाख, शासनादेश संख्या-125/2016-1216/नौ-5-16-32बजट/2014, दिनांक 05.05.2016 द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹0 128.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-277/2016-2495/नौ-5-16-32बजट/2014, दिनांक 29.09.2016 द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹0 200.00 लाख का उपभोग हो जाने के दृष्टिगत चतुर्थ किश्त के रूप में ₹0 500.00 लाख (₹0 पांच करोड़ मात्र) की धनराशि को संलग्न बी0 एम-9 के अनुसार अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/ विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
 - (2) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
 - (3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
 - (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशों के अनुरूप किया जायेगा।
 - (6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।
 - (7) कार्यों की द्विरावृत्ति/ पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।
 - (8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।
- 2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगा। यदि

निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2217- शहरी विकास -05-अन्य शहरी विकास योजनाये-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" से आहरित कर लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-06-पेयजल हेतु व्यवस्था-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.03.2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक' यथोक्त।

भारतीय

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-45 /2017-530/नौ-5-17-32बजट/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- महालेखाकार, (वर्कस लेखा अनुभाग), 30प्र० इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, लखनऊ/कानपुर नगर ।
- 3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र० लखनऊ ।
- 6- अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, घाटमपुर, कानपुर नगर ।
- 7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- 8- मुख्य अभियंता (का०क्ष०), 30प्र० जल निगम, कानपुर ।
- 10- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
- 11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र० शासन।
- 12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

भारतीय

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

फार्म बी०एम०-९ (भाग-१)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन
अनुदान संख्या व नाम- अनुदान संख्या-३७- नगर विकास विभाग, वित्तीय वर्ष २०१६-१७

(धनराशि हजार ₹० में)


निम्नलिखित निधियाँ से प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (१५ डिजिट कोड में) आयोजनागत (राजस्व लेखा)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (२-५)
१	२	३	४	५	६
"२२१७- शहरी विकास -०५-अन्य शहरी विकास योजनाये-१९२-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-०४-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-३५-पूजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"	९०००००	५००००	५००००	५००००	८५००००
योग	९०००००	५००००	५००००	५००००	८५००००
निम्नलिखित निधियाँ में प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (१५ डिजिट कोड में) आयोजनागत (राजस्व लेखा)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (९-८)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (८+११)
७	८	९	१०	११	१२
"२२१५-जल पूर्ति तथा सफाई-०१-जलपूर्ति-१०१-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-०६-पेयजल हेतु व्यवस्था-३५-पूजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान "	१०००००	१५००००	५००००	५००००	१५००००
योग	१०००००	१५००००	५००००	५००००	१५००००

स्तम्भ-३ में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

- (१) पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण बचत हो रही है।
- (२) स्तम्भ ८-में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ ९-में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-
नागर निकायों के लिये पेयजल कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।
- (३) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- १५० व १५१ में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर०ई०संख्या- ४४८ -ई-८-२४१ /दस-२०१७, दिनांक १० फरवरी, २०१७

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।



(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी,
नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या-४५/२०१७-५३०(१)/नौ-५-१७-३२बजट/२०१४ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- १- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), ३०प्र० इलाहाबाद।
- २- जिलाधिकारी, लखनऊ/कानपुर नगर ।
- ३- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- ४- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- ५- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, ३०प्र० लखनऊ ।
- ६- अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, घाटमपुर, कानपुर नगर ।
- ७- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- ८- मुख्य अभियंता (का०क्ष०), ३०प्र० जल निगम, कानपुर ।
- १०- वित्त (ई-८) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-१/२ एवं नियोजन अनुभाग- ३/४
- ११- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, ३०प्र० शासन।
- १२- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।


(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-13/02/2017


प्रेषण संख्या:- 45
आवंटन आदेश संख्या:- 001-45-2017-530-9-5-17-32B-2014
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
01 - जलपूर्ति
101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम
06 - पेयजल हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 297000000	50000000 297000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	50000000 297000000	50000000 297000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया उन्तीस करोड़ सत्तर लाख


(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी